I/49989/2023

नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

(दिनांक 16/08/2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)

श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त नोएडा एसईजेड की अध्यक्षता में दिनांक 07/07/2023 को दोपहर 02:00 बजे हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित नोएडा एसईजेड की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

A. बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री सुरेंद्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, एनएसईजेड (23/09/2008 के पत्र के संदर्भ में वाणिज्य विभाग के नामित)
2. श्री एस के राव, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, नोएडा आयुक्तालय।
3. श्रीमती गरिमा मिश्रा, सहायक प्रबंधक, डीआईसी, नोएडा (प्रधान सचिव, उद्योग, उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधि)
4. श्री चमन लाल, सहायक डीजीएफटी, सीएलए, नई दिल्ली।
5. श्री अमित कुमार वर्मा, आयकर अधिकारी, आयकर विभाग, नोएडा।
6. श्रीमती सुमित ग्रोवर, प्रबंधक, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा।

B. इसके अलावा, बैठक के दौरान श्री (i) किरण मोहन मोहदिकर, उप. विकास आयुक्त एनएसईजेड, (ii) अमित गुप्ता, निर्दिष्ट अधिकारी, एनएसईजेड, (iii) प्रकाश चंद उपाध्याय, सहायक विकास आयुक्त, एनएसईजेड, (iv) भारत भूषण, सहायक, परियोजना अनुभाग, एनएसईजेड, और (v) राजीव कुमार, जेई, यूपीपीसीएल, नोएडा भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। यह सूचित किया गया कि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

C. में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। एक संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के साथ-साथ आवेदकों/इकाइयों के प्रतिनिधियों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

D. **कार्यसूची में शामिल प्रस्तावों पर मदवार निर्णय:**

(1) दिनांक 01/08/2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की अंतिम बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।

(2) दिनांक 01/08/2023 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के विरुद्ध न तो कोई सन्दर्भ था और न ही आपत्तियाँ थीं। इसलिए, अनुमोदन समिति ने इस पर ध्यान दिया और तदनुसार, 01/08/2023 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

सुरेंद्र मलिक

(2) एक्वा पूल और स्पा - एनएसईजेड में एक नई इकाई की स्थापना; और (3) टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड - प्लॉट नंबर 4 और 5, एनएसईजेड का मेसर्स एक्वा पूल्स एंड स्पा का स्थानांतरण।

3.1 एनएसईजेड में एक नई इकाई स्थापित करने के लिए मेसर्स एक्वा पूल्स एंड स्पा के प्रस्ताव और प्लॉट नंबर 4 और 5, एनएसईजेड को मेसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड से मेसर्स एक्वा पूल्स एंड स्पा में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर एक साथ चर्चा की गई।

3.2 मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:

(i) दिनांक 09.12.2009 को मेसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड को सैद्धांतिक रूप में डी-बॉन्डिंग के लिए और प्लॉट संख्या 4 और 5, एनएसईजेड को मेसर्स एक्वा पूल्स एंड स्पा को हस्तांतरित करने के अनुरोध पर कार्रवाई/विचार करने के लिए मंजूरी दी गई।

(ii) मेसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का स्वीकृति पत्र (एलओए) 31.03.2010 तक वैध था। इकाई दी गई समय सीमा के भीतर निकास औपचारिकताओं को पूरा करने में विफल रही और निकास औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए समय भी बढ़ाया गया था। इकाई ने 14.01.2013 को सीमा शुल्क से अदेयता प्रमाणपत्र प्राप्त किया।

(iii) जनवरी, 2014 को, यह देखा गया कि इकाई ने सभी हस्तांतरण औपचारिकताएं पूरी कर ली थीं और इकाई ने सभी संपत्तियों जैसे प्लॉट नंबर 4 और 5, एनएसईजेड पर निर्मित भवन को मेसर्स एक्वा पूल्स एंड स्पा को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया था। मामले को 20.03.2014 को अनुमोदन समिति के समक्ष रखने का निर्णय लिया गया।

(vi) दिनांक 04.09.2014 को, मेसर्स टीसीएस को अंतिम निकास अनुमति जारी की गई थी।

(vii) मेसर्स एक्वा पूल्स एंड स्पा ने 03.11.2014 को उपरोक्त निर्णय के खिलाफ माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में 2014 की रिट याचिका 7567 दायर की थी।

(viii) मेसर्स एक्वा पूल्स एंड स्पा ने एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था जिसमें कहा गया था कि प्लॉट संख्या 4 और 5, एनएसईजेड पिछले 12 वर्षों से अप्रयुक्त पड़ा है और मुद्दे के समाधान में देरी के कारण भारी विदेशी मुद्रा अर्जित करने का आर्थिक अवसर खो गया है। इकाई ने मामले की दोबारा जांच करने का अनुरोध किया क्योंकि उन्होंने पाया कि नियम 74ए की व्याख्या में एक त्रुटि थी जो उन्हें माननीय न्यायालय में लंबित मामले को वापस लेने में सक्षम बनाएगी। इसके अलावा, इकाई ने यह भी कहा कि 12.08.2013 को नियम 74ए पेश किया गया था और इसे सैद्धांतिक रूप से पहले से स्वीकृत किसी भी स्थानांतरण पर पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता है।

सुरेंद्र मलिक

(ix) मामले की दोबारा जांच की गई और प्राप्त कानूनी राय के आधार पर, मामले को ' न्यायालय के बाहर' निपटान और आगे के मार्गदर्शन के संबंध में वाणिज्य मंत्रालय को भेजा गया।

(x) वाणिज्य मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 14.10.2022 के माध्यम से सूचित किया है कि मामले के तथ्यों और विकास आयुक्त, एनएसईजेड की सिफारिश के साथ इस कार्यालय द्वारा प्रस्तुत कानूनी राय के आलोक में, प्रारंभिक निर्णय के बाद से इस मुद्दे को अनुमोदन समिति के समक्ष रखा जा सकता है। अनुमोदन समिति के स्तर पर भी लिया गया।

(xi) अनुमोदन समिति ने 01/11/2022 को आयोजित अपनी बैठक में मामले के सभी तथ्यों को ध्यान में रखा जैसे कि नियम 74ए के प्रावधान को शामिल करने के साथ-साथ नियम 74ए के निहितार्थ लेनदेन पहले पूरा हो चुका है इन पर विचार-विमर्श करने और प्राप्त कानूनी राय को ध्यान में रखते हुए, समिति को निम्नलिखित शर्तों के अधीन टीसीएस द्वारा एक्वा पूल और स्पा को संपत्ति हस्तांतरित करने में कोई आपत्ति नहीं थी:

a. दो एसईजेड इकाइयां सभी कानूनी कार्यवाही को पारस्परिक रूप से निपटाती हैं माननीय न्यायालय ने याचिका वापस लेने की मंजूरी दे दी
b. दोनों इकाइयां विकास आयुक्त एनएसईजेड के कार्यालय को किसी भी दायित्व से क्षतिपूर्ति देने के लिए 100/- रुपये के स्टांप पेपर पर विधिवत नोटरीकृत कानूनी उपक्रम देंगी।
c. स्थानांतरण शुल्क का भुगतान वर्तमान दर पर किया जाता है।
d. मेसर्स एक्वा पूल्स एंड स्पा इस कार्यालय से 06/06/2014 के बाद स्वीकृति पत्र (एलओए) विस्तार के लिए आवेदन न करने के विस्तृत कारण प्रस्तुत करेगा।

(xii) अनुमोदन समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाइयों को उनके बीच समझौते की प्रति, मामले को वापस लेने की मंजूरी के साथ-साथ ऊपर बताए अनुसार अन्य विवरण/भुगतान प्रस्तुत करने का निर्देश देकर मामले को स्थगित कर दिया। अनुमोदन समिति ने विकास आयुक्त , एनएसईजेड कार्यालय को इस मुद्दे पर कानूनी राय लेने सहित फाइल पर निर्णय लेने और निर्णय लेने का निर्देश दिया कि क्या पहले दिए गए स्वीकृति पत्र (एलओए) को पुनर्जीवित किया जा सकता है या क्या मेसर्स एक्वा पूल और स्पा को नया स्वीकृति पत्र (एलओए) दिया जाना है।

(xiii) अनुमोदन समिति निर्णय के अनुपालन में, दोनों इकाइयों ने आवश्यक दस्तावेज/जानकारी जमा कर दी है।

(xiv) मेसर्स एक्वा पूल्स एंड स्पा ने भी समान नाम, मालिक और समान व्यवसाय क्षेत्र के साथ नए स्वीकृति पत्र (एलओए) के लिए आवेदन जमा किया है।

सुरेंद्र मलिक

3.3 मेसर्स एक्वा पूल्स एंड स्पा के मालिक श्री विनय गुप्ता और टीसीएस के अधिकृत प्रतिनिधि श्री देवेन्द्र सहाय अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए। श्री गुप्ता ने बताया कि उक्त भूखंड पिछले 12 वर्षों से अप्रयुक्त पड़े हैं और मुद्दे के समाधान में देरी के कारण आर्थिक अवसर खो गया है। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने मामला वापस ले लिया है और अनुमोदन समिति के निर्देशों के अनुसार अन्य दस्तावेज भी जमा कर दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने वर्तमान दर के अनुसार ट्रांसफर शुल्क जमा करने का भी वचन दिया है।

3.4 अनुमोदन समिति ने स्थानांतरण के पक्ष में निम्नलिखित कारकों पर विचार किया:

(i) राजस्व की कोई हानि नहीं हुई है क्यों कि मेसर्स टीसीएस अभी भी लीज रेंट का भुगतान कर रही है और मेसर्स एक्वा पूल्स एंड स्पा मौजूदा दर के अनुसार स्थानांतरण शुल्क का भुगतान करने के लिए तैयार है।

(ii) यदि मैसर्स एक्वा पूल्स एंड स्पा को नया स्वीकृति पत्र (एलओए) दिया जाता है या यदि उनका स्वीकृति पत्र (एलओए) दिनांक 07/06/2012 बढ़ाया जाता है तो आर्थिक गतिविधि का पुनरुत्थान होगा।

(iii) पूरी प्रक्रिया में देरी के कारण निर्यात पैदा करने, रोजगार पैदा करने और निवेश प्राप्त करने के आर्थिक अवसर खो गए हैं।

(iv) वाणिज्य विभाग ने अपने पत्र दिनांक 14.10.2022 के माध्यम से सूचित किया है कि इस मुद्दे को अनुमोदन समिति के समक्ष रखा जा सकता है क्योंकि प्रारंभिक निर्णय भी अनुमोदन समिति के स्तर पर लिया गया था। इकाई ने अनुमोदन समिति दिनांक 01.11.2022 के निर्देशों का भी अनुपालन किया है।

(v) मेसर्स एक्वा पूल्स एंड स्पा ने स्वीकृति पत्र (एलओए) की समाप्ति से काफी पहले अपने पत्र दिनांक 02/06/2014 के माध्यम से स्वीकृति पत्र (एलओए) की वैधता में विस्तार के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था, इस बीच इकाई ने 03/11/2014 को एक अदालत दायर की।

(vi) मेसर्स एक्वा पूल्स एंड स्पा का तर्क कि नियम 74ए को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है, तर्कसंगत लगता है और यह उन तर्कों में से एक था जिसके आधार पर माननीय न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया गया था।

(vii) मैसर्स एक्वा पूल्स एंड स्पा ने भी समान नाम, मालिक और समान व्यवसाय क्षेत्र के साथ नई इकाई के लिए आवेदन जमा किया है। यह उन शर्तों में से एक थी जो कानूनी राय में तय की गई थी।

सुरेंद्र मलिक

3.5 अनुमोदन समिति ने मामले पर विस्तार से चर्चा की और उपरोक्त पैरा 3.4 में दिए गए बिंदुओं पर उचित विचार करने के बाद, एनएसईजेड के प्लॉट नंबर 4 और 5 को मेसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड से मेसर्स एक्वा पूल और स्पा को हस्तांतरित करने के लिए सैद्धांतिक रूप से अपनी मंजूरी दोहराई। अनुमोदन समिति ने इस मुद्दे पर कानूनी राय प्राप्त करने का निर्देश दिया कि क्या मेसर्स एक्वा पूल्स एंड स्पा को जारी किए गए स्वीकृति पत्र (एलओए) दिनांक 07/06/2012 को एसईजेड नियम, 2006 के नियम 19 (4) के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 05/11/2014 से 07/03/2023 तक की रोक अवधि को ध्यान में रख कर बढ़ाया जा सकता है, या मेसर्स एक्वा पूल्स एंड स्पा को एक नया स्वीकृति पत्र (एलओए) जारी किया जाए।

(4) रॉयल एक्सपोर्ट्स - स्वीकृति पत्र (एलओए) का नवीनीकरण।

4.1 इकाई के भागीदार श्री मनोज सोनी अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया। यह बताया गया कि 153.36 लाख रुपये की प्राप्ति के लिए बकाया विदेशी मुद्रा थी और उसी के कारण, एनएफई की कमाई पिछले ब्लॉक के लिए नकारात्मक हो गई है।

4.2 श्री सोनी ने बताया कि 153.36 लाख रुपये की कुल बकाया निर्यात आय में से, उन्हें लगभग 50 लाख रुपये की प्राप्ति हुई है। और इसके समर्थन में बीआरसी की प्रतियां जमा कीं। उन्होंने कहा कि 25 लाख रुपये का एक और प्रेषण पाइपलाइन में है, जिसके इस महीने के भीतर प्राप्ति होने की उम्मीद है और शेष बकाया बिल 3-4 महीने की अवधि के भीतर यानी नवंबर 2023 तक प्राप्ति हो जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने आरबीआई (RBI) के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमति मांगने के लिए अपने एडी बैंक को लिखा है।

4.3 श्री सोनी ने यह भी बताया कि वर्तमान में उनके पास स्टर्लिंग एनवाईसी इंक, यूएसए से 8 लाख अमरीकी डालर मूल्य के जड़ित सोने के आभूषणों का ऑर्डर है और उन्होंने अपने स्वीकृति पत्र (एलओए) को नवीनीकृत करने का अनुरोध किया है।

4.4 अनुमोदन समिति ने पाया कि मेसर्स ग्लोबल डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड से रॉयल एक्सपोर्ट्स द्वारा की गई खरीद के मामले में नामांकित कानूनी फर्म से कानूनी राय मांगी गई थी। लिमिटेड हालाँकि, इसका अभी भी इंतजार है। इस बात को गंभीरता से लिया गया कि कानूनी फर्म ने समय पर अपनी राय नहीं दी।

4.5 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, "(i) सादे सोने के आभूषण (71131911) (450 किलोग्राम प्रति वर्ष) ; (ii) हीरे से जड़ित सोने के आभूषण (71131913) (50 किलोग्राम प्रति वर्ष); (iii) रंगीन पत्थरों से जड़ित सोने के आभूषण (71131915) (50 किलोग्राम प्रति वर्ष) के विनिर्माण" के लिए स्वीकृति पत्र (एलओए) की वैधता को छह महीने यानी 31/01/2024 तक नवीनीकृत करने का निर्णय लिया। अनुमोदन समिति ने इकाई को बकाया विदेशी

सुरेंद्र मलिक

मुद्रा की प्राप्ति करने या निर्यात आय की प्राप्ति के लिए समय विस्तार के लिए आरबीआई/एडी बैंक की अनुमति जमा करने का भी निर्देश दिया।

4.6 अनुमोदन समिति ने जल्द से जल्द कानूनी राय प्रदान करने के लिए नामांकित कानूनी फर्म को एक अनुस्मारक भेजने का निर्देश दिया। अनुमोदन समिति ने लीगल फर्म को अगली बार अनुमोदन समिति बैठक में उपस्थित होने के लिए सूचित करने का भी निर्देश दिया।

(5) परटेक एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड - (i) स्वीकृति पत्र (एलओए) का नवीनीकरण, (ii) अतिरिक्त अधिकृत संचालन को शामिल करना, (ii) आयातित मोबाइल फोन और डेटा केबल की डीटीए बिक्री के लिए एकमुश्त अनुमति स्वीकृति पत्र (एलओए) का नवीनीकरण और (iv) की निगरानी प्रदर्शन।

5.1 आयातित मोबाइल फोन और डेटा केबल की डीटीए बिक्री के लिए एकमुश्त अनुमति से संबंधित अनुरोध के संबंध में इकाई से कोई भी बैठक में उपस्थित नहीं हुआ। अनुमोदन समिति ने पाया कि प्रस्तावित डीटीए खरीदार श्री राजपाल सैनी ने भी एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है जिसमें कहा गया है कि ये तकनीकी सामान हैं और यदि समय पर जारी नहीं किया गया तो सभी सामान किसी काम के नहीं रहेंगे और सामान जारी करने का अनुरोध किया गया।

5.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, मोबाइल फोन और डेटा केबल की डीटीए बिक्री की अनुमति देने का निर्णय लिया, जिसके लिए इकाई ने केवल श्री राजपाल सैनी से अग्रिम भुगतान लिया है। यह डीटीए बिक्री लागू शुल्कों के भुगतान के आधार पर की जाएगी, बशर्ते कि ऐसी डीटीए बिक्री के खिलाफ भुगतान विदेशी मुद्रा में प्राप्त किया जाएगा।अनुमोदन समिति ने विशेष रूप से केवल उपरोक्त डीटीए बिक्री के लिए स्वीकृति पत्र (एलओए) की वैधता को 15/09/2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया।

5.3 अनुमोदन समिति ने यह भी निर्देश दिया कि इकाई के खिलाफ पीपी अधिनियम, 1971 के अनुसार कार्रवाई शुरू की जा सकती है क्योंकि उन्होंने उन्हें दिए गए भुगतान कार्यक्रम का पालन नहीं किया है और बकाया लीज किराया 17.5 लाख रुपये से अधिक हो गया है।

(6) ग्लोबल डेंट एड्स प्राइवेट लिमिटेड - स्वीकृति पत्र (एलओए) में अतिरिक्त अधिकृत संचालन का समावेश।

6.1 यह सूचित किया गया कि इकाई ने अपने स्वीकृति पत्र (एलओए) (LOA) में "मसूड़ों के स्वास्थ्य के लिए किट (30065000)" के निर्माण को शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री प्रदीप देबनाथ अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया। उन्होंने बताया कि उनके पास अपने मौजूदा विदेशी ग्राहकों से उक्त किट के निर्यात ऑर्डर थे।

सुरेंद्र मलिक

6.2 यह सूचित किया गया कि प्रस्तावित अतिरिक्त उत्पाद की वार्षिक उत्पादन क्षमता नहीं दी गई है।

6.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, प्रस्तावित उत्पाद की वार्षिक उत्पादन क्षमता प्रस्तुत करने के अधीन "मसूड़ों के स्वास्थ्य के लिए किट (30065000)" के विनिर्माण को शामिल करने के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

(7) इंडो डैन लैम्पशेड प्राइवेट लिमिटेड - स्वीकृति पत्र (एलओए) में अतिरिक्त अधिकृत संचालन

7.1 यह सूचित किया गया कि इकाई ने अपने स्वीकृति पत्र (एलओए) में "लेमिनेटेड कपड़ा (59039020)" के विनिर्माण को शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री गुलशन कुमार अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया। उन्होंने बताया कि उन्हें लेमिनेटेड फैब्रिक के निर्यात के लिए अपने विदेशी ग्राहकों से पूछताछ मिल रही थी। वे अपने डिजाइन और स्टाइल के हिसाब से उत्पाद बनाएंगे। उन्होंने कहा कि उनके पास लैंप शेड्स के समान लेमिनेटेड फैब्रिक के निर्माण के लिए सभी व्यवस्थाएं हैं।

7.2 बताया गया कि प्रस्तावित अतिरिक्त उत्पाद की वार्षिक उत्पादन क्षमता नहीं दी गई है।

7.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, प्रस्तावित उत्पाद की वार्षिक उत्पादन क्षमता प्रस्तुत करने के अधीन "लेमिनेटेड कपड़ा (59039020)" के विनिर्माण को शामिल करने के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

8.1 यह सूचित किया गया कि इकाई ने अपने स्वीकृति पत्र (एलओए) में "1. IV कैनुला (90183930); 2. 3 तरफ़ा पानी निकलने की टोंटी, एक्सटेंशन ट्यूब के साथ 3 तरफ़ा पानी निकलने की टोंटी (90183990); 3. रीढ़ की हड्डी की सुई (90183290); 4. सक्शन कैथेटर (90183990); 5. राइल्स ट्यूब (90183990); 6. शिशु आहार ट्यूब (90183990); 7. IV एक्सटेंशन ट्यूब (90183990); 8. IV प्रवाह नियामक (90261010); 9. IV आसव सेट, मापी गई मात्रा सेट (90183990); 10. रक्त आधान सेट (90189032); 11. रेक्टल कैथेटर (90183990); 12. फ़ॉले कैथेटर (90183910); 13. एंडोट्रैचियल ट्यूब (90189099); 14. थोरैसिक कैथेटर (90183990); 15. यंकुर सक्शन (90189099); 16. लेविन ट्यूब (90183990); 17. महिला कैथेटर (90183910); 18. पेट की नली (90189099); 19. नेब्युलाइज़र मास्क (90189099); 20. ऑक्सीजन मास्क (90189099); 21. ए. वी. फिस्टुला सुई (90183290); 22. थ्रोसिक कैथेटर (90183990); 23. गर्भनाल क्लैंप (90183990); 24. गुएडेल एयरवेज़ (90189099); 25. मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन किट (90189099); 26. नाक ऑक्सीजन कैथेटर (90183930); 27. कर्मन कैनुला (90189099); 28. बंद घाव सक्शन (90189099); 29. बलगम निकालने वाला (90189099); 30. रेडॉन ड्रेन (90183990); 31. सेंट्रल वेनस कैथेटर (90183990); 32. वेंचुरी मास्क (90189099); 33. लारेंजियल मास्क (90189099); 34. रक्त संग्रहण ट्यूब (90183990); 35. रक्त संग्रह सुई (90183290); 36. एपिड्यूरल सुई (90183290); 37. एपिड्यूरल किट और सहायक उपकरण (90183990); 38. मासिक धर्म कप

सुरेंद्र मलिक

(96190090); 39. ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब (90189099); 40. नासॉफिरिन्जियल एयरवे (90189099); 41. नेलाटन कैथेटर (90183990)" 41 वस्तुओं के विनिर्माण को शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इकाई के निदेशक अधिकृत प्रतिनिधि श्री मनु ग्रोवर अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया।

8.2 बताया गया कि प्रस्तावित अतिरिक्त उत्पाद की वार्षिक उत्पादन क्षमता नहीं दी गई है। इसके अलावा, अनुमानित विदेशी मुद्रा बैलेंस शीट में दिए गए आयातित पूंजीगत सामान और कच्चे माल / उपभोग्य सामग्रियों / घटकों आदि का मूल्य अनुमानित विदेशी मुद्रा व्यय के ब्रेक-अप से मेल नहीं खाता है। इसलिए, सही मान दिए जाने की आवश्यकता है।

8.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, "ऊपर पैरा 8.1 में उल्लिखित 41 वस्तुओं" के विनिर्माण को शामिल करने के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह प्रत्येक प्रस्तावित उत्पाद की वार्षिक उत्पादन क्षमता और सही अनुमानित विदेशी मुद्रा बैलेंस शीट प्रस्तुत करने के अधीन है।

(9) कैडेंस डिजाइन सिस्टम्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड - कैफेटेरिया एवं व्यायामशाला सुविधा के संचालन को नियमित करने का प्रस्ताव।

9.1 यह सूचित किया गया कि मेसर्स कैडेंस डिज़ाइन सिस्टम्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ने अपने परिसर में कैफेटेरिया और जिम्नेजियम का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया है: -

क्र.सं.	जगह	विवरण	क्षेत्र वर्ग फुट में	कुल निर्मित क्षेत्र वर्ग फुट में	%आयु
1.	प्लॉट नंबर 57एबी सी, 10 और 11	कैफेटेरिया और रसोई	16,000	465,098	3%
2.	प्लॉट नंबर 58 सी,	कैफेटेरिया और रसोई	2,3000	54,745	4%
3.	प्लॉट नंबर 58 सी,	व्यायामशाला	1,675	54,745	3%

9.2 इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री प्रवीण सिंह अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया। उन्होंने बताया कि इकाई इन सुविधाओं को चला रही थी और रसोई और व्यायामशाला के लिए खरीदे गए उपकरणों पर कर का भुगतान किया गया था। आगे बताया गया कि उपकरणों का रखरखाव एसईजेड नियम के तहत बिना किसी कर छूट/लाभ के किया गया था।

9.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर ध्यान दिया। इसने निर्देश संख्या 95 दिनांक 11.06.2019 में उल्लिखित

सुरेंद्र मलिक

शर्तों के अनुपालन के अधीन कैफेटेरिया और व्यायामशाला सुविधा को नियमित करने की मंजूरी भी दे दी।

(10) सुप्रजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड - आईटीसी एचएस कोड में संशोधन के लिए अनुरोध।

10.1 यह सूचित किया गया कि इकाई ने उत्पादों में से एक 'बोने की मशीन सीडर ड्राइव गियर बॉक्स गैर-ऑटोमोबाइल के लिए))' के एचएस कोड में 84839000 से 87089900 तक संशोधन के लिए अनुरोध किया था। इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री आनंद नेगी अनुमोदन से पहले उपस्थित हुए। समिति और प्रस्ताव की व्याख्या की। श्री नेगी ने बताया कि बीज बोने के लिए इन सीडर ड्राइव को ट्रैक्टरों में स्थापित किया जाएगा।

10.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और 'बोने की मशीन (सीडर ड्राइव गियर बॉक्स गैर-ऑटोमोबाइल के लिए)) आईटीसी (एचएस) कोड 87089900 को संशोधित कर दिया।

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।

सुरेंद्र मलिक

(सुरेंद्र मलिक)
संयुक्त. विकास आयुक्त

ए बिपिन मेनन

(ए बिपिन मेनन)
विकास आयुक्त